प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस.)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
   प्र0इ0रि0सं0.....159......./2024 दिनांक .....1/8/2024....
   (I) धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी भादस एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018)
   (II) अधिनियम..धाराऐं ....
   (III) अधिनियम...धाराऐं..................................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या...........05......................समय.......2:05 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन.........................दिनांक.........................समय.......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक...................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता – ....
   ....बीट संख्या...............................जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
   पुलिस थाना..जिला....................................
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
   (अ) नाम –
   (ब) पिता/पति का नाम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष...
   (द) राष्ट्रीयता..
   (य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि...........
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता –
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
   1. श्री विमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर निवासी **फ्लैट संख्या 117 सुर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर।**
   2.श्रीमती भोज कुमारी शर्मा पत्नि श्री विमलेश कुमार शर्मा निवासी **फ्लेट संख्या 117 सूर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर।**
   3. श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री विमेलश कुमार शर्मा निवासी **फ्लैट संख्या 117 सूर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर।**
   4. सुश्री कृतिका शर्मा पुत्री श्री विमलेश कुमार शर्मा निवासी फ्लैट संख्या 436/एस–1, निर्माण नगर एबी अजमेर रोड जयपुर।
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. 'पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री **विमलेश कुमार शर्मा (मोबाईल नं0 , PAN NUMBER-ADUPS4852P) पुत्र श्री रामदयाल शर्मा निवासी 32, जय किसान कॉलोनी, टोंक फाटक जयपुर का रहने वाले है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती**

भोज कुमारी (मोबाईल नं0 **PAN NUMBER - DDDPS0045C)** के साथ हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं, अपनी पत्नी श्रीमती भोज कुमारी, पुत्र राहुल शर्मा, पुत्री कृतिका शर्मा के नाम से परिसम्पतियों का क्रय–विक्रय किया जाना विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। **संदिग्ध अधिकारी के पुत्र राहुल (मोबाईल नं0 , PAN NUMBER-DDDPS0040H) व पुत्री कृतिका शर्मा (मोबाईल नं0 , PAN NUMBER -JWQPS8770A) है,** संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्री को जयपुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा दिलवाया जाना ज्ञात हुआ है। गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य एवं आम शोहरत भ्रष्ट अधिकारी के रूप में होना विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

जिस पर एसीबी की इन्टेलिजेन्स शाखा में शिकायत संख्या 71/2022 दिनांक 16.09. 2022 दर्ज की जाकर ब्यूरो स्तर पर निर्देशानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की **प्रथम नियुक्ति वर्ष 1988 में स्वायत्त शासन विभाग** में **कनिष्ठ लिपिक** पद पर हुई थी तथा वर्तमान में संदिग्ध अधिकारी अतिरिक्त निजी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के पद पर कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी एवं उसके परिवारिक सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स में परिसम्पत्तियों के रूप में निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिनमें प्रमुख रूप से **जयपुर शहर में कई आवासीय प्लॉट्स (निर्माण नगर, श्रीराम विहार, गोनेर, मालवीय नगर) आदि हैं।**

इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी एवं पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों से भारी मात्रा में पैसों का लेन–देन करना विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है साथ ही संदिग्ध अधिकारी की पत्नी, पुत्र तथा पुत्री के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के खातों एवं आईसीआईसीआई बैंक के बचत खातों में लाखों रूपये ट्रांसफर किये जाना ज्ञात हुआ है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अज्ञात स्त्रोतों से अर्जित आय को ज्ञात स्त्रोतों में बदलने हेतु करोडों रूपये प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पितियों का शून्य होना ज्ञात हुआ है जो परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

<u>परिशिष्ट "अ"</u>

संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की चैक पिरियड सर्च दिनांक (सेवाकाल) से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	**परिसम्पत्ति का विवरण**	**परिसम्पत्ति का मूल्य**
1	शून्य	शून्य

<u>परिशिष्ट "ब"</u>

संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1988 से सर्च दिनांक तक अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	**परिसम्पत्ति का विवरण**	**परिसम्पत्ति का मूल्य**
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा के नाम एक फ्लैट संख्या 436/एस–1 निर्माण नगर एबी, जयपुर में 939.16 वर्गफीट का होकर दिनांक 18.10. 2012 को 14,50,000 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है, उक्त फ्लैट पर रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में	15,42,710 /–रूपये

	92,710 रूपये होने का अनुमान है। अतः कुल खर्च के रूप में 15,42,710 रूपये व्यय होने का अनुमान है।	
2.	संदिग्ध अधिकारी की श्री विमलेश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल शर्मा के नाम से एक प्लाट संख्या 34 श्रीराम विहार–ए ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर जयपुर में कुल क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर होकर दिनांक 17.10.2012 को जरिये रजिस्ट्री 6,00,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त प्लाट की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में 29,020 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है जिस पर कुल 6,29,020 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	6,29,020 /– रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल शर्मा के नाम से एक प्लाट संख्या 33 श्रीराम विहार–ए ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर जयपुर में कुल क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर होकर दिनांक 20.03.2013 को जरिये रजिस्ट्री 6,00,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त प्लाट की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में 29,020 रूपये खर्च करना ज्ञात हो कुल 6,29,020 रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त प्लाट पर दो मंजिला भवन बना हुआ ज्ञात हुआ है जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 2500 वर्गफीट में निर्माण होना ज्ञात हुआ है जिस पर वर्ष 2013 के अनुसार 1200 रूपये निर्माण दर प्रति वर्गफीट के हिसाब से 2500 X 1200 = 30,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। अत उक्त प्लाट पर कुल निर्माण लागत 36,29,020 रूपये व्यय होने का अनुमान है।	36,29,020 /– रूपये
4.	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल शर्मा के नाम से दुकान नं एसी–17 निलय कुंज फेज द्वितीय ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जयपुर में कुल क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर होकर दिनांक 08.06.2023 को जरिये जरिये रजिस्ट्री 12,00,000 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है उक्त दुकान की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में 1,05,600 रूपये खर्च करना ज्ञात हो कुल 13,05,600 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	13,05,600 /– रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा की पुत्री सुश्री कृतिका शर्मा के नाम से एक आवासीय प्लाट संख्या 225 पटेल नगर ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में हो कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज (167.22 वर्गमीटर) होकर दिनांक 25.01. 2022 को जरिये रजिस्ट्री 20,00,000 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है उक्त आवासीय प्लाट की रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में 1,00,000 रूपये खर्च करने करना ज्ञात हो कुल 21,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	21,00,000 /– रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा की पुत्री सुश्री कृतिका शर्मा के नाम एक प्लाट नम्बर ए–3 जिसका कुल क्षेत्रफल 433.13 वर्गगज (362.13	55,37,325 /– रूपये

	वर्गमीटर) हो विधानसभा नगर योजना ग्राम खेजडों का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित होकर दिनांक 30.09.2022 को 51,51,000 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लाट की रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में 3,86,325 खर्च करना ज्ञात हो कुल 55,37,325 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
7	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा पुत्री कृतिका शर्मा के नाम से दुकान नं एसी–16 निलय कुंज फेज द्वितीय ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जयपुर में कुल क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर होकर दिनांक 08.06.2023 को जरिये रजिस्ट्री 12,00,000 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है उक्त दुकान की रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में 90,000 रूपये खर्च करना ज्ञात हो कुल 12,90,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	12,90,000 / – रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती भोजकुमारी के नाम से एक प्लाट नम्बर 26 कुल क्षेत्रफल 363.83 वर्गगज (304.20 वर्गमीटर) योजना नम्बर–1 सुन्दर नगर जेएलएन मार्ग गिरधर मार्ग मालवीय नगर जयपुर में स्थित होकर दिनांक 16.08.2019 को जरिये रजिस्ट्री 2,81,14,000 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लाट की रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में 19,67,980 रूपये खर्च करना ज्ञात हो कुल 3,00,81,980 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	3,00,81,980 / – रूपये
9.	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा की पत्नि श्रीमती भोजकुमारी के नाम से एक प्लाट संख्या 117 कुल क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज होकर सूर्यनगर तारों की कूंट जयपुर मे स्थित है उक्त प्लाट को दिनांक 19.02.2001 को जरिये इकरार नामा श्रीमती उषा सैन से 2,00,000 लाख रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लाट में सदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नि के नाम से दिनांक 28.07.2007 को बिजली कनेक्शन लिया जाकर के उक्त प्लाट के कुल क्षेत्रफल लगभग 7,130 वर्गफीट में तीन मंजिल निर्माण करवाया। उक्त तीन मंजिला बिल्डिंग निर्माण में तत्कालीन निर्माण दर प्रति वर्गफीट 500 रूपये अनुमानित के हिसाब से कुल लागत 7130 X 500 = 35,65,000 रूपये खर्च करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लाट में संदिग्ध अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण खर्च के रूप में 37,65,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	37,65,000 / – रूपये
10.	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा के नाम तीन मंजिला पैतृक सम्पति प्लाट संख्या 32 (155.55 वर्गगज) जय किसान कॉलोनी रूपरामपुरा टोंक फाटक जयपुर जो कि संदिग्ध अधिकारी की माता स्व. श्रीमती सरोज देवी नें 07.08.1974 में क्रय करने का अनुमान है। एसओ की माताजी का निधन दिनांक 22.02.2003 को हो चुका है उसके बाद हकत्याग के रूप में 01.02.2023 को विमलेश कुमार शर्मा के नाम करने का अनुमान है।	शून्य

11.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि भोजकुमारी एवं पुत्र राहुल शर्मा के नाम एक फर्म रॉयल बिल्डकॉन की आयकर विवरणिका 2023–24 के अनुसार कुल परिसम्पतियाँ के रूप में कुल 3,80,01,847 रूपये अर्जित करने का अनुमान है।	3,80,01,847–/ रूपये
12.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि भोजकुमारी एवं पुत्र राहुल शर्मा के नाम एक फर्म रॉयल बिल्डकॉन के आयकर विवरणिका वर्ष 2023–24 के अनुसार (अनसिक्योर्ड लोन) के रूप में कुल 65,26,500 रूपये प्राप्त करने का अनुमान है।	65,26,500/– रूपये
13.	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा की पत्नि श्रीमती भोजकुमारी के आईसीआईसीआई बैंक के खाता संख्या 678601081456 में दिनांक 12.04.2024 तक शेष बैलेन्स 2,40,046 रूपये	2,40,046/– रूपये
14.	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा के एसबीआई बैंक खाता संख्या 39020562286 में दिनांक 02.04.2024 तक शेष बैलेन्स 49,319 रूपये	49,319/– रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल शर्मा के एसबीआई बैंक खाता संख्या 61060043450 में दिनांक 29.04.2024 तक शेष बैलेन्स 1,33,315 रूपये	1,33,315 रूपये
16.	संदिग्ध अधिकारी विमलेश शर्मा की पुत्री सुश्री कृतिका शर्मा के एसबीआई बैंक के खाता संख्या 61162759515 में दिनांक 29.04.2024 तक शेष बैलेन्स 4,93,712 रूपये	4,93,712/– रूपये
17	संदिग्ध अधिकारी विमलेश कुमार शर्मा के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 1133104400079209 में दिनांक 02.05.2024 तक शेष बैलेन्स 7,15,000 रूपये	7,15,000 रूपये/–
18.	संदिग्ध अधिकारी विमलेश कुमार शर्मा के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 1133104400079069 में दिनांक 01.05.2024 तक शेष बैलेन्स1,10,000 रूपये	1,10,000 रूपये/–
19.	संदिग्ध अधिकारी विमलेश कुमार शर्मा के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 1133104400077487 में दिनांक 04.03.2024 तक शेष बैलेन्स 40,000 रूपये	40,000 रूपये/–
20.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र के नाम से एक वाहन संख्या आरजे 14 एसी 0498 जो i20 एस्टा सीआर डीआई मॉडल हो दिनांक 27 अगस्त 2015 को रजिस्टर्ड होना अंकित है जिसका मूल्य 8,36,822 रूपये होना अनुमानित है।	8,36,822 रूपये/–
	कुल योग	**9,70,27,216**

परिशिष्ट "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1988 से सर्च दिनांक तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा की वर्ष 1991 से 2024 तक आयकर विवरणिका के अनुसार कटौती के पश्चात अनुमानित कुल शुद्व वैतनिक आय 1,16,68,960 रूपये होने का अनुमान है।	1,16,68,960/– रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा की पत्नि श्रीमती भोज कुमारी की वर्ष 2010–11 से 2021–22 तक की आयकर विवरणिका के अनुसार कटौती के पश्चात शुद्व कुल आय 60,02,494/– रूपये होने का अनुमान है।	60,02,494/– रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल कुमार शर्मा की वर्ष 2010–11 से 2022–23 अब तक आयकर विवरणिका अनुसार कटौती के पश्चात शुद्व कुल आय 58,76,637/– रूपये होने का अनुमान है।	58,76,637/– रूपये
4.	संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा की पुत्री कृतिका शर्मा की वर्ष 2021–22 से 2023–24 अब तक आयकर विवरणिका अनुसार कटौती के पश्चात शुद्व कुल आय 17,83,053/– रूपये होने का अनुमान है।	17,83,053/– रूपये
5.	रॉयल बिल्डकॉन फर्म की वर्ष 2012–13 से 2023–24 तक आयकर विवरणिका अनुसार कटौती के पश्चात शुद्व कुल आय 10,58,766/– रूपये होने का अनुमान है।	10,58,766/– रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी विमलेश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल शर्मा के एचडीएफसी के लोन खाता संख्या 688774241 से दिनांक 30.06.2023 को प्लाट नं एससी–17 निलय कुंज फेज–2 ग्राम गोनेर जगतपुरा जयपुर पर 10,00,000 रूपये का लोन लेने का अनुमान है।	10,00,000/– रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी विमलेश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल शर्मा के आईडीएफसी के लोन एग्रीमेन्ट संख्या 63604899 से दिनांक 09.02.2022 को प्लाट संख्या 26 योजना नम्बर 01 सुन्दर नगर जेएलएन मार्ग जयपुर पर 96,46,000 रूपये का लोन लेने का अनुमान है	96,46,000/– रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि एवं पुत्र के नाम से एक फर्म रॉयल बिल्डकॉन होकर उक्त फर्म के नाम से आयकर विवरणिका वर्ष 2023–24 के अनुसार विभिन्न स्त्रोतो से (अनसिक्योर्ड लोन) कुल 65,26,500 रूपये लेना ज्ञात हुआ है।	65,26,500/– रूपये
	कुल योग	**4,35,62,410 रूपये**

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1988 से सर्च दिनांक तक किया गया व्ययः–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पिरियड वर्ष 1988 से जून 2024 तक रसोई एवं असत्यापनिक पर नियमानुसार	38,50,756/रूपये

	कुल 38,50,756/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
2	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में अपने पुत्र राहुल व पुत्री सुश्री कृतिका को शहर के प्रतिष्ठित स्कूल एव विश्वविद्यालयों में शिक्षा दिलवाना ज्ञात हुआ है। जिस पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा शिक्षा हेतु उच्च शिक्षण संस्थानो में 15,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	15,00,000/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र द्वारा वाहन संख्या RJ14 AC 0498 के रख रखाव, ईंधन, मेंटनेंस, बीमा ईत्यादि पर (वर्ष 2015 से सर्च दिनांक तक) प्रतिवर्ष औसतन लगभग 66,666.66X9=6,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है	6,00,000/रूपये
4.	संदिग्ध अधिकारी विमलेश कुमार शर्मा के एचडीएफसी के लोन खाता संख्या 606412596 से दिनांक 18.10. 2012 को प्लाट न 436 के फ्लेट संख्या एस–1 निर्माण नगर एबी अजमेर रोड जयपुर पर 12,00,000 रूपये का लोन लेकर चुकता करने का अनुमान है, जिस पर दिनांक 17.05.2024 तक. ब्याज की राशि के रूप में 5881.90X139 = 8,17,585 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	8,17,585/– रूपये
5.	संदिग्ध अधिकारी विमलेश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल शर्मा के एचडीएफसी के लोन खाता संख्या 688774241 से दिनांक 30.06.2023 को प्लाट नं एससी–17 निलय कुंज फेज–2 ग्राम गोनेर जगतपुरा जयपुर पर 10,00,000 रूपये का लोन लेने का अनुमान है जिस पर दिनांक 12.06.2024 तक ईएमआई के रूप में 21668X12=2,60,016 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,60,016/– रूपये
6.	संदिग्ध अधिकारी विमलेश कुमार शर्मा के पुत्र श्री राहुल शर्मा के आईडीएफसी के लोन एग्रीमेन्ट संख्या 63604899 से दिनांक 09.02.2022 को प्लाट संख्या 26 योजना नम्बर 01 सुन्दर नगर जेएलएन मार्ग जयपुर पर 96,46,000 रूपये का लोन लेने का अनुमान है जिस पर दिनांक 05.06.2024 तक ईएमआई के रूप में 91072X27=24,58,944 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	24,58,944 रूपये/–
	कुल योग	**94,87,301**

संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1988 से सर्च दिनांक तक वेतन एवं भत्ते आदि से आयकर एवं अन्य कटौती के पश्चात शुद्व शेष आय लगभग 1,16,68,960/– रूपये प्राप्त हुई जो परिशिष्ट "स" मे दर्शाई गई है एवं इनकी पत्नी श्रीमती भोजकुमारी द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में वैध आय लगभग 60,02,494/–रूपये, पुत्र राहुल द्वारा 58,76,637 रूपये, पुत्री कृतिका द्वारा 17,29,587 रूपये एवं रॉयल बिल्डकॉन फर्म की आयकर विवरणिका में वैध आय 10,58,766 रूपये जो कि परिशिष्ट "स" मे दर्शाई गई है। अतः संदिग्ध अधिकारी एवं परिवार की कुल वैध आय लगभग 2,63,36,444/रूपये शेष रहती है। दौराने अनुसंधान इन की आय के स्त्रोत बाबत अनुसंधान भी वांछनीय है।

संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1988 से सर्च दिनांक तक प्राप्त वेतन, भत्तों के अनुसार वैध आय 1,16,68,960/रूपये का 1/3 भाग परिवार का अनुमानित रसोई खर्च 38,50,756/ रूपये व्यय होने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पीरियड (वर्ष 1988 से सर्च दिनांक तक) के दौरान लगभग एक चौपहिया वाहन संख्या आरजे 14 एसी 0498 जो कि संदिग्ध अधिकारी के पुत्र राहुल शर्मा के नाम से परिवहन विभाग के डेटा के अनुसार 27 अगस्त 2015 को रजिस्टर्ड होना अंकित है एवं उक्त वाहन का मूल्य 8,36,822 रूपये होकर प्रतिवर्ष पेट्रोल, रख–रखाव, बीमा, प्रदूषण का कुल खर्च (वर्ष 2015 से सर्च दिनांक तक) प्रतिवर्ष औसतन लगभग 66,666.66X9=6,00,000 रूपये खर्च के रूप मे व्यय किये है इस प्रकार उक्त वाहन खरीदने से आज दिनांक तक कुल व्यय 6,00,000 रूपये होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्री को शिक्षा दिलवायी गयी है जिसमें गभग 10,00,000/–रूपये खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल व्यय राशि **94,87,301/** रूपये होने का अनुमान हैं, जो परिशिष्ट "द" मे दर्शाई गई है।

राजस्व, पंजीयन, विद्युत वितरण निगम, बैंक बेलेंस,एवं भवन निर्माण से संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सेवाकाल में अर्जित चल–अचल परिसम्पत्तियों पर लगभग 9,70,27,216 रूपये निवेश एवं व्यय किया जाना पाया गया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा सेवाकाल में अपने व अपने परिजनों के नाम अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का विवरण परिशिष्ट "ब" के रूप में संलग्न है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा रसोई खर्च, संतानो की शिक्षा व वाहनो के डीजल/पेट्रोल/इन्श्योरेन्स/रख रखाव आदि पर खर्चा 94,87,301 रूपये निवेश/व्यय किया जाना पाया गया है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की कुल परिसम्पतियां एवं व्यय 9,70,27,216+94,87,301=10,65,14,517 रूपये होना पाया गया हैं।

विभिन्न विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा वैध आय से अधिक अर्जित की गई राशि को स्वयं एवं स्वयं की पत्नी भोजकुमारी शर्मा एवं पारिवारिक सदस्यों के नाम से जयपुर एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आवासीय एवं व्यवसायिक प्रोपर्टी आदि मे निवेश किया है जिसका वर्णन परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया हैं।

क. चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्यः– शून्य

ख. चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पतियों का कुल मूल्य (प्रपत्र 'ब' का योग)
= 9,70,27,216/– रूपये

ग. चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य
(ख–क) = 9,70,27,216/– रूपये

घ. चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्व आय की कुल राशि (प्रपत्र 'स' का योग)
= 4,35,62,410 रूपये

ड. चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि (प्रपत्र 'द' का योग)
= 94,87,301 रूपये

च. चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (ग+ड)=9,70,27,216+94,87,301
=10,65,14,517/–रूपये

छ. आय से अधिक सम्पति की राशि (च–घ) –10,65,14,517–4,35,62,410
=6,29,52,107/–रूपये

ज. आय से अधिक सम्पति का प्रतिशत
(छ/घX100) = **प्रतिशत** (6,29,52,107/4,35,62,410 X 100)= **144.51%**

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा एवं पारिवारिक सदस्यों के नाम से अर्जित की गई परिसम्पत्तियों पर व्यय एवं पुत्र तथा पुत्री की शिक्षा एवं वाहनों के रख रखाव पर खर्च में से दोनो पति पत्नी द्वारा अर्जित वैध आय को घटाने पर कुल 10,65,14,517–

4,35,62,410 = 6,29,52,107/रूपये (अक्षरे छः करोड उनतीस लाख बावन हजार एक सौ सात रूपये) की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो वैध आय से लगभग **144.51%**अधिक है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री विमलेश कुमार शर्मा, पत्नी श्रीमती भोज कुमारी,पुत्र राहुल शर्मा एवं पुत्री कृतिका शर्मा के विरूद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी भादस एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018) के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। संदिग्धों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उनके निम्न ठिकानों **(1.) फ्लेट संख्या 117 सूर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर (2) 32 जय किसान कॉलोनी, रूपारामपुरा, टोंक फाटक जयपुर (3) फ्लेट संख्या 436/एस–1, निर्माण नगर एबी अजमेर रोड जयपुर एवं (4) एस.ओ के कार्यालय स्वायत्त शासन विभाग, सिविल लाईन्स, जयपुर स्थित कक्ष की तलाशी लेना आवश्यक है।** तलाशी के दौरान कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, **बैंक लॉकर्स (एसबीआई के खाता संख्या 39020562286)** में स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सूत्र ने विश्वस्त सूचना दी है।

अतः संदिग्ध अधिकारी (1.) श्री विमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर निवासी **फ्लैट संख्या 117 सुर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर।** (2.) श्रीमती भोज कुमारी शर्मा पत्नि श्री विमलेश कुमार शर्मा निवासी **फ्लेट संख्या 117 सूर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर।** (3.) श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री विमेलश कुमार शर्मा निवासी **फ्लैट संख्या 117 सूर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर। (4) सुश्री कृतिका शर्मा पुत्री श्री विमलेश कुमार शर्मा निवासी फ्लैट संख्या 436/एस–1, निर्माण नगर एबी अजमेर रोड जयपुर व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है। अतएव आरोपीगणों के उक्त कृत्य से अपराध अन्तर्गत** धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी भादस एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018) का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(राजकुमार शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रनिब्यूरो, (इन्टें) जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजकुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी भादस एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018) में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त (1.) श्री विमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त निजी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर निवासी **फ्लेट संख्या 117 सुर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर।** (2).श्रीमती भोजकुमारी शर्मा पत्नि श्री विमलेश कुमार शर्मा निवासी **फ्लेट संख्या 117 सुर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर।** (3.) श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री विमेलश कुमार शर्मा निवासी **फ्लेट संख्या 117 सुर्यनगर, तारों की कूंट, जयपुर। (4.) सुश्री कृतिका शर्मा पुत्री श्री विमलेश कुमार शर्मा निवासी फ्लेट संख्या 436/एस–1, निर्माण नगर एबी अजमेर रोड जयपुर** के विरूद्ध अपराध संख्या 159/2024 दिनांक 01.08.2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री सुनील सिहाग अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

01.08.24

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांकः– 835-39 दिनांकः–01.08.2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, कम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग,राज0 जयपुर
4. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
5. श्री सुनील सिहाग, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर